F.N. K-0993/03/2026/LBSHSTC/

LAL BAHADUR SHASTRI HEALTH SCIENCES AND TECHNICAL COUNCIL

लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद

(Formerly: Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, India)
पूर्वनामः–लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council
Member: National Allied and Healthcare Professional Association
Ph: 0121-4349311

Dated: 04/05/2026

एडमिशन रेफरल सेंटर
प्राधिकरण–पत्र

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य महोदय,

नेशनल एजुकेशनल ग्रुप

ए.के. पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट

जिला – जालंधर

राज्य – पंजाब

विषयः– लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के अधीन "एडमिशन रेफरल सेंटर के रूप में अस्थायी मान्यता, प्राधिकरण एवं संचालन स्वीकृति प्रदान किए जाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में, आपके **आवेदन पत्र संख्या ARC/2026/JL/PB/2010** तथा संस्थान **नेशनल एजुकेशनल ग्रुप ए.के. पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट** जिला. **जालंधर** राज्य **पंजाब** द्वारा अभिलेखित एवं प्रस्तुत समस्त आवश्यक दस्तावेजों, घोषणाओं तथा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के परीक्षण, सत्यापन एवं विधिवत् मूल्यांकन के उपरांत, मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि उक्त संस्थान को परिषद के अधीन एडमिशन रेफरल सेंटर के रूप में अस्थायी मान्यता, प्राधिकरण एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति पूर्णतः अस्थायी, शर्ताधीन एवं परिषद द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों, विनियमों, उपविधियों, नीतिगत दिशा–निर्देशों एवं प्रशासनिक आदेशों के कठोर अनुपालन के अधीन होगी। केंद्र संचालक/प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र की समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं प्रचार–संबंधी गतिविधियाँ परिषद

नोट: केंद्र संचालक ... कोई भी ... के माध्यम से सूचना प्रेषित कर ATR प्राप्त की जाए

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

के प्रावधानों के अनुरूप संचालित हों तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, तथ्य–गोपन, मिथ्या अभ्यावेदन, अनधिकृत प्रवेश, नियम–विरुद्ध कार्यवाही अथवा शर्तों के उल्लंघन की दशा में, परिषद को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना पूर्व सूचना, उक्त मान्यता/प्राधिकरण को निरस्त, स्थगित अथवा वापस ले सके, तथा ऐसी अन्य विधिसंगत कार्रवाई भी कर सके, जिसे वह उपयुक्त समझे।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

लाल बहादुर शास्त्री

स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद।

दूरभाषः 0121–4349311

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद।
2. सचिव, लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद।
3. परीक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद।
4. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद।
5. गार्ड फाइल।

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council